<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–359/2026
(ललितग्राम थाना कांड सं0–29/2024)

	1. अमरूल, पे0 स्व0 नजमूल 2. मो0 आजाद, पे0 मो0 मोसीम 3. मो0 मलिक, पे0 मो0 नसीर 4. शमशेर, पे0 फरमुद 5. हब्बो, पे0 किसमत सभी साकिन लक्ष्मीनियॉ थाना ललितग्राम, जिला सुपौल .....अभियुक्त/आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
<u>16/03/26</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) अमरूल (2) मो0 आजाद (3) मो0 मलिक (4) शमशेर (5) हब्बो** की ओर से दाखिल किया गया है, जो ललितग्राम थाना कांड सं0–29/2024 अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 126(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मो0 रज्जी अहमद अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। दोनो पक्षों के बीच सुलह हो चुका है और राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद के पलटा मुकदमा में भी सुलह हो गया है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद सूचक मो0 बेचन के फर्द बयान के आधार पर संस्थित धारा – 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 126(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सुपौल थाना कांड सं0–29/2024 का प्राथमिकी अभियुक्तगण है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है "कि दिनांक 17/07/2024 को संध्या करीब 5 बजे में जैसे ही मुहर्रम मेल में पहुॅचा तो अभियुक्त आवेदकगण ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत फिरोज ने अख्तर जो मेला में तलवार बाजी कर रहा था एवं शमशेर फरसा चला रहा था को इशारा किया कि बेचना आ गया है साले का सर कलम कर दो, भीड़ का फायदा उठाते हुए शमशेर ने फरसावाजी करते हुए उसके उपर वार करना चाहा, लेकिन वह पीछे हट गया तथा उसी समय	Contd

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–359 / 2026
(ललितग्राम थाना कांड सं0–29 / 2024)

लगातार.....
16 / 03 / 26

तलवार वाजी कर रहा था अख्तर ने जान मारने की नियत से सर के अग्र भाग पर प्रहार कर दिया, जिसे उसका सर कट गया तथा खून बहने लगा और वह गिर गया, उसी समय स्वयं थानाध्यक्ष के द्वारा उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गये।"

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। सूचक के साथ मारपीट करने का विशिष्ट आरोप सह अभियुक्त शमशेर के उपर है तथा अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व सूचक के साथ मारपीट करने का विशिष्ट आरोप नहीं है। ललितग्राम थाना कांड सं0–26 / 2024 प्रस्तुत वाद का प्रतिलोम वाद है। उभयपक्षों के मध्य मेल व सुलह हो गया है तथा सुलहनामा आवेदन अभिलेख के साथ सलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुलहनामा आवेदन के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) अमरूल (2) मो0 आजाद (3) मो0 मलिक (4) शमशेर (5) हब्बो** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवे. दकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें।

लेखापित
–हस्ता0–
(अनंत सिंह)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल